समक्ष अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित :: श्री राजेन्द्र कुमार–IV,एच0जे0एस0,–––––अध्यक्ष ।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र संख्या–157/18–––––––– वर्ष 10.11 प्रा0

मेसर्स कान्टीनेन्टल सीमेन्ट कम्पनी, 321, संजय मार्ग मुजफ्फरनगर।

बनाम

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिनिधित्व :– (आवेदक की ओर से श्री विशाल श्रीवास्तव,अधिवक्ता)

(विपक्षी की ओर से श्री राकेश कुमार गौतम, राज्य प्रतिनिधि)

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल श्रीवास्तव उपस्थित आये तथा विभाग की तरफ से श्री राकेश कुमार गौतम, राज्य प्रतिनिधि उपस्थित आये।

संक्षिप्तः प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि द्वितीय अपील संख्या– 04/18 वर्ष 10.11 प्रा0, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ मुजफ्फरनगर के यहॉ दाखिल की गयी हैं, जो लम्बित हैं। फर्म के डायरेक्टर श्री अजित कुमार तायल तथा श्रीमती अनिता देवी दोनों कैंसर से पीडित हैं, जिनका मेरठ में इलाज चल रहा है और वे वर्तमान में मेरठ में रह रहे हैं। फर्म बन्द हो चुकी है कोई भी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। वे मेरठ से मुजफ्फरनगर जा कर वाद के पैरवी करने में अस्मर्थ हैं। अतः उक्त अपील मुजफ्फरनगर से मेरठ पीठ में अन्तरित करने का निवेदन किया गया।

अन्तरण प्रार्थना–पत्र पर सदस्य पीठ– मुजफ्फरनगर की आख्या आहूत की गयी, जिसमें उन्होंने यह कहा कि उक्त अपील मेरठ पीठ में स्थानान्तरित किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षों को विस्तृत रूप से सुना। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

स्थानान्तरण प्रार्थना–पत्र में पीठ के पीठासीन अधिकारी के विरूद्व कोई आरोप नहीं लगाया गया है महज यह कहा गया है कि अपीलार्थी कम्पनी के दोनों डायरेक्टर श्री अजित कुमार तायल तथा श्रीमती अनिता देवी पति/पत्नी हैं। दोनों डायरेक्टर कैंसर से पीडित हैं,उनका इलाज आनन्द हास्पिटल मेरठ में चल रहा है। वे अपने रिश्तेदार के यहॉ मेरठ में ही रह रहे हैं। कम्पनी का व्यवसाय बन्द हो चुका है, कम्पनी कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। कैंसर के इलाज के कारण मुजफ्फरनगर में अपील की सुनवाई के लिए कोई नहीं है तथा दोनों डायरेक्टर की वीमारी के आधार पर अपील स्थानान्तरण किये जाने हेतु तर्क दिया गया। चूँकि सदस्य के विरूद्व कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। अपीलार्थी/आवेदक की वीमारी के आधार पर उनके निवास स्थान की पीठ में अपील का स्थानान्तरण किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। अतः अन्तरण प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तरण प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांकः 22 :फरवरी–2018

(राजेन्द्र कुमार–IV)
एच0जे0एस0,
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।